राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

क्रमांकः एफ 9(4)()/मानवी आई.टी.सी. होल्ड/2023/00064 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

कार्यालय आदेश

कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन विभाग को अग्रेषित कर अनियमित छात्रवृत्ति उठाने संबंधी प्रकरण में उच्च स्तर से प्राप्त अनुमोदन उपरांत **दिनांक 02.06.2023** को शिक्षण संस्थान **मानवी प्राईवेट आई.टी.आई, जयपुर (12395)** को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड किया गया था।

उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में दायर एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8419/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2025 द्वारा उक्त संस्थान के प्रकरण का निस्तारण किए जाने हेतु आदेशित किया गया। तत्पश्चात् विभाग द्वारा जारी आदेश राजकाज रेफ सं 19625969 दिनांक 29.12.2025 के द्वारा शिक्षण संस्थान मानवी प्राईवेट आई.टी.आई को सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 30.12.2025 को निदेशालय में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही इसके 06 विद्यार्थियों को भी अपने शैक्षणिक व व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों सहित निदेशालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। शिक्षण संस्थान ने निर्धारित तिथि को सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। परंतु संस्थान द्वारा प्रकरण में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई हेतु उपस्थित संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा अवगत करवाया गया कि संस्थान ने स्वयं उनका बैंक खाता खुलवाया है तथा बैंक के सभी दस्तावेज संस्थान के पास है एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संस्थान द्वारा ही ली जाती है।

शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग को अग्रेषित आवेदन–पत्रों की randomly जांच करने पर अनियमितताएं पाई गई। अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतियां प्राप्त किए जाने हेतु निदेशक एनसीवीटी नई दिल्ली को भेजे गए पत्र के प्रतिउत्तर में प्राप्त सूचना अनुसार प्रेषित अंकतालिकाओं को Not verified (not matched with NCVT record) होना बताया गया है। उक्त शिक्षण संस्थान द्वारा विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 के बिन्दु सं 13 का उल्लंघन करते हुए कूटरचित दस्तावेज युक्त छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र यथा **SCHOLARSHIP/2022-23/4996411 (SEMESTER 3)** इत्यादि विभाग को अग्रेषित किए गए।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 18 – शैक्षणिक संस्थान को ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया के उपबिन्दु 4 तथा 13 निम्नानुसार हैः–

(4) सभी शैक्षणिक संस्थानों के खाते में ऑनलाईन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जानी आवश्यक होगी।

(13) शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन Forward करने एवं साथ ही प्रस्ताव की सूची को शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं शैक्षणिक संस्था की सील लगाने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाने से पूर्व निम्नलिखित घोषणा का गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त यह जानते एवं समझते हुए कि "I Agree" का बटन दबाना आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बराबर होगा।

1. 25–25 के प्रस्ताव में सम्मिलित ऑनलाइन आवेदनों में दी गई सभी जानकारी तथा तथ्य पूर्णतया सत्य है।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन कर अपलोड की गई प्रतियां सही है एवं इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या जालसाजी नहीं की गई है।
3. शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते मैं, यह अच्छी तरह से समझता हूं कि यदि उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में फेर–बदल किया गया है या किसी तथ्य को छुपाया गया है या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है या सरकार को किसी भी तरह से गुमराह करने का प्रयास किया है या छल–कपट पूर्वक बेईमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किये हैं तो सरकार आईपीसी की धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के तहत हमारे विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप मुझे 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है।

विभाग द्वारा दिनांक 09.10.2015 को जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं संबंधी दिशा–निर्देश 2015 का बिन्दु सं 06 – छात्रवृत्ति के लिए पात्रता संबंधी अन्य शर्तें के उपबिन्दु 4 के अनुसार अगर किसी शिक्षण संस्थान द्वारा विद्यार्थी के अपात्र होते हुए भी उसका आवेदन पत्र जानबूझकर छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है तो ऐसे संस्थान को किसी भी छात्रवृत्ति से विवर्जित (debarred) कर दिया जाएगा तथा शिक्षण संस्थान को ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया जाएगा तथा छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा अन्य सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 177, 197, 198, 199, 200 तथा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी।

RajKaj Ref No.:
20511504
eSign DSC

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

शिक्षण संस्थान **मानवी प्राईवेट आई.टी.आई, जयपुर** द्वारा जिला अधिकारी को अनियमित छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र अग्रेषित किए गए। उक्त शिक्षण संस्थान के द्वारा दिशा–निर्देशों की जानकारी होते हुए भी षड्यंत्रपूर्वक मिलीभगत कर अनियमित तथा कूटरचित दस्तावेज युक्त आवेदन बिना गहन परीक्षण के जिला कार्यालयों को अग्रेषित करते हुए राजकोष को हानि पहुंचाने तथा अनियमित छात्रवृत्ति आवंटन में संलिप्त होने का कृत्य किया गया।

अतः संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थान द्वारा जिला अधिकारी को अग्रेषित किए गए आवेदनों की जांच उपरांत प्रस्तुत तथ्यों का गहनता से अवलोकन एवं विवेचन पश्चात् उक्त शिक्षण संस्थान को आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए अथवा संस्थान को होल्ड किये जाने की तिथि से 05 वर्ष (जो भी बाद में हो) की अवधि के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर विवर्जित (debarred) किया जाता है। साथ ही उक्त शिक्षण संस्थान के वर्तमान में लंबित समस्त आवेदन–पत्रों को निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(आशीष मोदी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 9(4)()/मानवी आई.टी.सी. होल्ड/2023/00064 दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
6. संस्था प्रधान, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Joint Secretary To Government
Date :13-02-2026 03:12:52

RajKaj Ref No.: 20511504
eSign DSC